संख्याः 844(1)/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 19 जुलाई, 2007

विषयः—**Independent Media Pvt. Ltd को India TV Institute** की स्थापना हेतु ग्राम भोपालपानी ग्रान्ट में 5 एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—308/12ए—आ0ले0 (2006—08) दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय Independent Media Pvt. Ltd को India TV Institute की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग—1 (उत्तर प्रदेश शासन) के शासनादेश संख्या—558/16(1)/73—रा—1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा यथा संशोधित शासनादेश संख्या—1695/97—1—1(60)/93—रा—1 दिनांक 12—0—97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील देहरादून के ग्राम भोपालपानी ग्रान्ट के खसरा नं0—333ग रकबा 5 एकड़ भूमि को वर्तमान बाजार दर की दो गुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की गई है। यदि उक्त भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है तो, प्रश्नगत भूमि/भवन सहित सभी भारों से मुक्त राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

2— प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

.....(2)

3– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–आ0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

4– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा।

5– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा कम्पनी का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, Independent Media Pvt. Ltd 75 अमृत नगर, सातरुथ एक्सटेन्शन–1, नई दिल्ली।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जगपांगी)
अपर सचिव।